

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान भादर सिंह बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 327/2025

निर्णय दिनांक 13/6/2025

भादर सिंह पुत्र मोट सिंह जाति दरोगा निवासी झांझनी तहसील तारानगर जिला चूरु।

बनाम

-प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

-अप्रार्थी

-::निर्णय::-

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा झांझनी पटवार हल्का नेठवा तहसील तारानगर के खाता संख्या 166 खसरा सं. 494/164 तादादी 4.8051, हैक्ट राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसराजात की जमाबंदी मौजा झांझनी पटवार हल्का नेठवा तहसील तारानगर में प्रार्थी का नाम भादर सिंह पुत्र मोट सिंह की जगह भादरसिंह पुत्र मोटा गलत दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का अन्य सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक में सही नाम भादर सिंह पुत्र मोट सिंह है। प्रार्थी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने व अन्य कार्यों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब प्रार्थी जमाबंदी में दुरुस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना-पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा झांझनी पटवार हल्का नेठवा तहसील तारानगर के खाता संख्या 166 खसरा सं. 494/164 तादादी 4.8051, हैक्ट में प्रार्थी का नाम भादर सिंह पुत्र मोट सिंह किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम भादर सिंह पुत्र मोट सिंह व भादरसिंह पुत्र मोटा दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार में प्रार्थी का नाम भादर सिंह पुत्र मोट सिंह पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भादर सिंह पुत्र मोट सिंह अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही झांझनी पटवार हल्का नेठवा तहसील तारानगर के खाता संख्या 166 खसरा सं. 494/164 तादादी 4.8051, हैक्ट के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम भादरसिंह पुत्र मोटा **Delete** कर इसके स्थान पर भादर सिंह पुत्र मोट सिंह अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवा जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/6/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया



(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)